[2004] Supp. 4 SCR 409

राजस्थान राज्य

बनाम

भंवर सिंह

14 सितंबर 2004

[अरिजीत पसायत और सी.के. ठक्कर, जे.जे.]

दंड संहिता *1860* धारा *302* और धारा *323* प्रत्यार्थी अभियुक्त पर हत्या का आरोप है —अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया — उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि को अपास्त किया गया — अपील करने पर उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की गई अपराधी परिवीक्षा अधिनियम *1958*।

साक्ष्य*:* चिकित्सीय साक्ष्य की तुलना में प्रत्यक्ष साक्ष्य का महत्व — चिकित्सीय साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य को तब पूर्णतः असंभव बनाता हो — अभियोजन मामले की विश्वसनीयता प्रभावित होगी।

प्रत्यार्थी और पांच अन्य का मृतक की हत्या करने के लिए विचारण किया गया प्रत्यार्थी को दोष सिद्ध किया गया प्रत्यार्थी के अपील करने पर

उच्च न्यायालय ने अभियोजन मामले को त्रुटि पूर्ण पाया जाने पर दोष सिद्धि को अपास्त किया राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील प्रस्तुत की गई।

अपील निरस्त करते हुए, न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया :

उच्च न्यायालय द्वारा सावधानी पूर्वक तथ्यात्मक स्थिति का विश्लेषण किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा पाई गई त्रुटियों का संयुक्त प्रभाव यह दर्शने के लिए पर्याप्त है कि अभियोजन पक्ष का कोई मामला नहीं बनता है। मृतक की विधवा के स्पष्ट बयानों के अनुसार उसने इन व्यक्तियों को अपने पति के शरीर का पता लगाने के लिए भेजा था कथित घटना स्थल पर तीनों गवाहों की उपस्थिति को संदेश पद माना है जो सही था। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने में एक दिन की देरी का स्पष्टीकरण नहीं देना अभियोजन पक्ष के वृतांत की सच्चाई पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने में देरी होना सभी मामलों में घातक साबित नहीं होता है। परंतु वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियों में निश्चित रूप से यह उन कारकों में से एक है जो की अभियोजन पक्ष के वृतांत की विश्वसनीयता को कम करते हैं। अंततः हालांकि नेत्र साक्ष्य को चिकित्सा साक्ष्य से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए परंतु जहां चिकित्सीय साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य को असंभव बनाता है, जैसा कि वर्तमान प्रकरण में है, अभियोजन की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक माना जा

सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है यह अपील दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ होने के कारण यह किसी भी तरह की हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।

[412-B, C, D, E]

आपराधिक अपीलीय न्याय निर्णय: आपराधिक अपील संख्या 594 वर्ष 1999

राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 1.5.1998 से, जो कि आपराधिक अपील संख्या 169 वर्ष 1995 में पारित किया गया।

अपीलार्थी की ओर से —कुमार कार्तिकेय और अरुणेश गुप्ता।

प्रत्यार्थी की और से श्रीमती सशी किरण (ए. सी.) (एन पी)।

न्यायधीश जिनके द्वारा निर्णय दिया गया

अरिजीत पासायत न्यायाधीश :

प्रत्यार्थी भंवर सिंह इसके बाद अभियुक्त से संबोधित को पांच अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कथित रूप से एक कालू सिंह (इसके पश्चात 'मृतक' से संबोधित) की हत्या करने के आरोप के विचारण का सामना करना पड़ा। विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त भंवर सिंह को भारतीय दंड संहिता 1860 संक्षेप, में भा.द.स. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीन अन्य सह

अभियुक्त गण मोती सिंह शंकर सिंह भंवर सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत दोषी पाया और उन्हें अपराधी परिवीक्षा अधिनियम—1958 (संक्षेप में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम) के तहत परिविक्षा का लाभ दिया गया। दो अन्य सह अभियुक्त गुमान सिंह और नाथू सिंह को दोष मुक्त किया गया। भंवर सिंह ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता देकर अपने दोष सिद्धि की वैधता पर सवाल उठाया। प्रश्नगत निर्णय के द्वारा, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पाया कि अभियोजन अपने आरोपों को साबित करने में असफल रहा है।

राज्य ने इस अपील में उक्त निर्णय की शुद्धता पर सवाल उठाया है।

संक्षेप में पृष्ठभूमि इस प्रकार से है :

गुलाब सिंह (पी.ड.8) द्वारा दिनांक 27.10.1992 को उदयपुर में शाम 7:00 बजे लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई जिसे दिनांक 28.10.1992 को पुलिस थाना पनरावा भेज दिया गया। FIR के अनुसार मृतक की दिनांक 27.10.1992 को प्रातः 5:00 बजे चोटों के कारण मृत्यु हो गई थी। चोटें दिनांक 26.10.1992 को शाम 4:00 बजे कारित की गई थी। उस रोज दोपहर में अभियुक्त गुमान सिंह और नाथू सिंह मृतक को पशु मेला देखने के लिए जाने का अनुरोध किया। थांवर सिंह (PW 3) मृतक के साथ था और शंभू सिंह (PW 4) और गुलाब सिंह (PW 8) उनके पीछे चल रहे थे। जब मृतक बिरोठी पहुंचा तो सभी छः अभियुक्त गण ने उसे घेर लिया और

उस पर तलवार व लाठियां से हमला कर दिया। अभियुक्त भंवर सिंह के पास तलवार थी जिससे उसने मृतक के सिर में धारदार हिस्से की चोट मारी। मृतक नीचे गिर गया PW 3 ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उसे भी मोती सिंह के हाथों से चोटें कारित हुई। मृतक को चिकित्सालय ले जाया गया जहां पर दिनांक 27.10.1992 को प्रातः 5:00 बजे चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। चिकित्सक अनीस अहमद (PW-15) जिसके द्वारा पोस्टमार्टम किया गया था उसे पांच गुना एक सेंटीमीटर आकर का हड्डी तक गहरा घाव सर के शीर्ष भाग पर व खोपड़ी की दाइं पराइटो फ्रंटल हड्डी का अस्ती भंग होना पाया और दाहिनी टेंपोरल हड्डी का भी हस्ती भंग होना पाया। मृत्यु सर में लगी चोटों के कारण होना बताया गया था। चिकित्सक का कथन है कि सर में लगी चोटें तलवार से कारित नहीं की जा सकती थी वे सिर्फ कुंद हथियार द्वारा ही संभव थी। विचारण न्यायालय द्वारा PW 3, 4 और 8 की साक्ष्य पर विश्वास कर दोषसिद्धि दर्ज की गई और उपरोक्त दंड दिया गया। अपील में उच्च न्यायालय द्वारा यह पाया गया की PW 3, 4 और 8 की साक्ष्य में विश्वसनीयता का अभाव है। यह देखा गया कि मृतक की विधवा PW-5 ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसने कुछ व्यक्तियों से घटना के बारे में सुना और PW 3, 4 और 8 को मृतक के शरीर को लाने के लिए भेजा जो कथित घटनास्थल पर मृतक को घायल अवस्था में लेकर आने के लिए गए और उसके बाद उसे चिकित्सालय पहुंचाया गया। सभी गवाहन द्वारा यह स्वीकार किया गया कि

कथित घटना घटित होने के समय बहुत अधिक संख्या में लोग मौजूद थे जो इस गांव के निवासी थे। परंतु किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं बताया गया। उच्च न्यायालय द्वारा इस तथ्य का भी संज्ञान लिया गया की रिपोर्ट दर्ज करवाने में हुई देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। यह पाया गया कि PW 3, 4 और 8 का घटना के समय कथित घटनास्थल पर उपस्थित होना असंभव है इसके अतिरिक्त चिकित्सीय साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य के विपरीत पाया गया है।

इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा दोष मुक्त करने का आदेश दिया गया। अपील के समर्थन में अपीलार्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है की प्रत्यक्षदर्शी गवाहान PW 3, 4 और 8 के वृतांत को नजरअंदाज करते हुए PW-5 की साक्ष्य को अनावश्यक रूप से महत्व दिया गया है। मात्र इसलिए कि उसने PW-5 ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि उसने PW 3, 4 और 8 को अपने पति का शरीर लेकर आने के लिए भेजा था। प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के वृत्तांत को किसी भी प्रकार से असंभव नहीं बनाता है। एत द्वारा चुंकि गवाहान आहत कालूराम की देखभाल करने में व्यस्त थे इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने में हुई देरी को अत्यधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए था। यह भी तर्क दिया गया कि चिकित्सीय साक्ष्य किसी भी तरह से उनकी सत्यता को खारिज नहीं करती है।

प्रकरण की सुनवाई करते समय प्रत्यार्थी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

हम यह पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक स्थिति का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया गया है। हालांकि एकलतः कुछ परिस्थितियों ने अभियोजन पक्ष के वृत्तांत को प्रभावित नहीं किया होगा लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा देखी गई त्रुटियों का संयुक्त प्रभाव यह दर्शानेके लिए पर्याप्त है की अभियोजन पक्ष का मामला स्थापित नहीं हुआ है PW 3, 4 औ 8 की घटना स्थल पर कथित उपस्थिति को स्पष्ट रूप से संदिग्ध माना गया है PW 5 मृतक की वह विधवा है जिसने गवाह PW 3 4 और 8 को अपने पति के शरीर को खोजने के लिए भेजा था। हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा सावधानी पूर्वक तथ्यात्मक स्थिति का विश्लेषण किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा पाई गई त्रुटियों का संयुक्त प्रभाव यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि अभियोजन पक्ष का मामला स्थापित नहीं हुआ है। मृतक की विधवा के स्पष्ट बयानों के अनुसार उसने इन व्यक्तियों को अपने पति के शरीर का पता लगाने के लिए भेजा था, तीनों गवाहों PW 3 ,4 और 8 की कथित घटनास्थल पर उपस्थिति को संदेहास्पद माना है जो सही था। यह पूर्णतः असंभावित है की PW 3 ,4 और 8 घटना को देखने के बाद खामोश रहे। उन्होंने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है की मृतक के साथ मारपीट की घटना देखने के बाद उन्होंने क्या किया। इसके अतिरिक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने में हुई एक दिन की देरी

अभियोजन पक्ष के कथनों की सच्चाई पर गंभीर संदेह उत्पन्न करती है। मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने में देरी होना सभी मामलों में घातक नहीं होता परंतु वर्तमान प्रकरण की प्रस्तिथियों में निश्चित रूप से यह उन कारकों में से एक है जो की अभियोजन पक्ष के वृतांत की विश्वसनीयता को कम करते है। उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है। यह अपील दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ होने के कारण यह किसी भी तरह के हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। अपील असफल हुई है और उसे खारिज किया जाता है।

के.जी.

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता जितेन्द्रसिंह जोधा द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।